DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mo - 9415376545

B.A PART-I (HONS) Paper-II

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No..... Lecture No. 31 Date.20/05/20.....

डॉ० बी० आर० आम्बेडकर एक विधि वेत्ता के रूप में

डॉ० आम्बेडकर की उच्च शिक्षा विदेशों में हुई थी। उन्होंने एम०ए०, एम०एस सी०, डी०लीट, डी०एस्सी०, बॉर एट लॉ सभी डिग्रियाँ विदेशों से प्राप्त की। उनका विषय अर्थशास्त्र था। और उनकी मूल विषय जिसका उन्होंने शोधात्मक अध्ययन किया वह थी - भारत की आर्थिक समस्याएँ। यद्यपि वे अर्थशास्त्र के विद्वानों थे किन्तु उनकी प्रतिभा विधि के क्षेत्र में भी अतुलनीय थी। वे कानून तथा संविधान सम्बन्धी पुस्तकों की सहज वैज्ञानिक व्याख्या करते थे। इस क्षेत्र में उनकी दो प्रमुख भूमिकाएँ रहीं। प्रथम मंत्रिमण्डल में - कानून मंत्री के रूप में और दूसरा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में।

यद्यपि आम्बेडकर कांग्रेसी दल के प्रबल आलोचक रहे और उन्होंने गाँधी और नेहरू दोनों को आड़े हाथों लिया था किन्तु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० नेहरू उनकी प्रतिभा से परिचित थे और वे चाहते थे कि उनकी विद्वत्ता का लाभ पूरे देश को मिले। इसलिए आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री आम्बेडकर को नियुक्त किया गया। मंत्रालय में कुछ वर्षों तक कार्य करने के बाद वे नेहरू के कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनका आरोप था कि उनकी बातों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सत्य चाहे जो भी हो वे काफी समय तक कानून मंत्री रहे। और जहाँ तक लिखित प्रमाण मिलते हैं, उन्होंने अपना कार्य कुशलतापूर्वक किया। उनके कार्यकाल में 'हिन्दू कोड बिल' का प्रारूप तैयार किया गया था जिसका उद्देश्य हिन्दू स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार दिलाना था। इसी 'हिन्दू कोड बिल' को लेकर उनका नेहरू मंत्रि मंडल से विवाद हो गया क्योंकि आम्बेडकर चाहते थे कि 1952 में होने वाले चुनावों के पहले ही बिल पास हो जाय। कई लोगों के तीव्र विरोध के कारण बिल की कुछ धाराएं स्थगित कर दी गई। इससे आम्बेडकर को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने

PTO

Scanned with CamScanner

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mo- 9415376545
B.A PART-I (HONS) Paper-II
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

Ref. No................ Date. 20/05/20

स्थापित कर दिया।

डॉ० आम्बेडकर की सबसे बड़ी देन जिसे भारतीय इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, उनकी संविधान निर्माण की भूमिका। उनको संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह अवसर उनके लिए सुनहरा अवसर था। वे जानते थे कि अछूतोद्धार का काम तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक समानता के संवैधानिक अधिकार सबको प्राप्त हो जाएँ। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की रूपरेखा तैयार की, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थी।

Dr. आम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है वे पूर्णतः इस पद के योग्य हैं भी। अक्सर यह समझा जाता है कि ~~उनको~~ उन्होंने प्राचीन मनु का विरोध किया और उनके नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रति भी जलाई गई। आधुनिक मनु का अर्थ कदापि यह नहीं है कि भारतीय संविधान जिसके प्रारूप के निर्धारण में ~~वे~~ उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, पूर्णरूप से 'मनुस्मृति' के प्रतिकूल है। इसकी महत्ता यह है कि इन्होंने संविधान में जिन सिद्धान्तों का वर्णन किया, उसका सीधा सम्बन्ध हमारी सामाजिक तथा राजनैतिक मान्यताओं के अनुरूप है। इसके तीन मुख्य आधार माने जा सकते हैं। व्यक्ति समानता और स्वतंत्रता, केन्द्रीय कृत सरकार तथा धर्मनिरपेक्षता। इन तीनों पक्षों के समावेश में डॉ० आम्बेडकर ने अमिट छाप छोड़ी है। इसी अर्थ में वे आधुनिक मनु हैं और इसी पक्ष के आधार पर उनके योगदान का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए।

राजनैतिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के संदर्भ में भी आम्बेडकर के विचार अत्यंत तर्कसम्मत थे। वे जानते थे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसका शासन बिना सत्ता के बँटवारे के बिना नहीं हो सकता। किन्तु उन्होंने

PTO

Scanned with CamScanner

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
BY:DR. ANANTESHWAR KUMAR YADAV
(ASSIST. PROFESSOR, GPTT)
Mo- 9415376545
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA-846004(BIHAR)

B.A PART-I (HONS) Paper-II

Ref. No.................

Date 20/05/20

यह बात स्पष्ट की कि भले ही साधारण परिस्थितियों में संघीय राज्य अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभाएँगे और केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती है जब केन्द्र को मजबूती से अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े। भारतीय संविधान में इसी तथ्य की व्याख्या की गई है जिसके संदर्भ में Dr. आम्बेडकर का अति महत्वपूर्ण योगदान है।

डॉ० आम्बेडकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व देते थे कि वह इस बात से प्रकट होता है कि वे संविधान में वर्णित संवैधानिक अधिकार को सबसे अधिक महत्व देते थे। उनके शब्दों में- "यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन-सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 को छोड़कर और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता।"

धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में भी डॉ० आम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही क्योंकि आम्बेडकर ने साफ कहा कि धर्म निरपेक्षता और अधार्मिकता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं हो सकता। तो मात्र एक अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से इज्जत करना।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि Dr. B.R Ambedkar की विधिवेत्ता के रूप में जो भूमिका थी, वह पहले की कई भूमिकाओं से भिन्न थी क्योंकि इसमें उनकी विद्वता, तर्कशक्ति, कल्पनाशक्ति और अनुभव के दर्शन होते हैं। जब भी सदन में पेश की गई आलोचनाओं का उत्तर देते थे उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे। और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना चाहिए। (स्रोत- डॉ० एम० वी० पायली की प्रसिद्ध पुस्तक 'Constitutional Government of India')

(समाप्त)

Scanned with CamScanner